झारखण्ड सरकार

कार्यालय ; जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, पलामू।

(जिला नजारत शाखा)

दूरभाष सं0– 06562–224033(का)/224044 (आ) Email ID- dc-pal@nic.in

अति–अल्पकालिन निविदा

COVID-19 महामारी को देखते हुए सरकार के सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 877 दिनांक 13.05.2020 में निदेशित है कि झारखण्ड राज्य के बाहर से आने वाले Migrant Labours को Home Quarantine किये जाने पर उन्हें एक बार Dry Ration Food Packet उपलब्ध कराया जाना है। Migrant Labours को उपलब्ध कराये जाने वाले सामग्रियों का क्रय खुले बाजार मे किया जाना है। सामग्रियां निम्न प्रकार है –

1. अरहर दाल।
2. चना दाल।
3. सरसों तेल।
4. नमक।

उपरोक्त सभी सामग्रियां एक–एक हजार किलोग्राम उपलब्ध कराया जाना है। आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त सामग्रियों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। सामग्रियों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए।

इच्छुक निविदादाता दिनांक 18.05.2020 को अपराहन् 3.00 बजे तक जिला नजारत शाखा, पलामू में एक सीलबंद लिफाफा में सामग्रियों का दर भरकर जमा कर सकते है। दिनांक 18.05.2020 को अपराहन् 3.00 बजे के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

निविदादाता का चयन निविदा में डाले गये न्यूनतम दर पर किया जायगा। सामग्रियों का दर कृषि उत्पादन बाजार समिति के दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

निविदा हेतु विहित प्रपत्र

क्र0	सामग्री का नाम	निविदा का दर
1	अरहर दाल	
2	चना दाल	
3	सरसों तेल	
4	नमक	

निविदादाता का बंद लिफाफे में उपरोक्त दर भरकर उसमें अपना नाम, व्यापार का पता, मोबाईल नं0 एवं हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही निविदा लिफाफे के ऊपर उपायुक्त, पलामू लिखकर निविदा डालेंगे। सामग्रियों की आपूर्ति के लिए परिवहन एवं हथालन के लिए अलग से किसी प्रकार का दर देय नहीं होगा एवं सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं होगा।

निविदा दिनांक 18.05.2020 को अपराहन् 5.00 बजे उपायुक्त, पलामू की अध्यक्षता में खोली जायगी, जिसमें सभी निविदादाता की उपस्थिति अनिवार्य है।

चयनित निविदादाता को उपायुक्त, पलामू द्वारा दिये गये समयानुसार एवं निर्धारित स्थान पर शीघ्र सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी। सामग्रियों की आपूर्ति ससमय नहीं किये जाने पर निविदादाता पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायगी।

उपरोक्त अल्पकालिन निविदा सूचना जिला के वेबाईट palamu.nic.in एवं जिला नजारत शाखा पलामू के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

ह0/–
उपायुक्त,
पलामू।